प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - 'छत्तीस'

प्रश्न क्र. 5276

परिशिष्ट - "37"

अंतर सिंह आर्य
मंत्री
पशुपालन, पशुपालन (मछुआ कल्याण) तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

कार्या.— 526, वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)
निवास — बी-25 (74 बंगले), स्वामी दयानंद नगर भोपाल (मध्यप्रदेश)
दूरभाष कार्यालय : 0755-2551953
निवास/फैक्स : 0755-2441593, 2441060

जावक क्र. ....

दिनांक ....

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विधान सभा सत्र फरवरी-अप्रैल 2016 में दिये गये आश्वासन क्रमांक- 858 एवं विधान सभा सत्र जुलाई 2016 में दिए गये आश्वासन क्रमांक- 1374 के संदर्भ में माननीय विधायक सर्वश्री बहादुर सिंह चौहान, विधान सभा क्षेत्र महिदपुर, श्री दिलीप सिंह शेखावत, विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद, श्री जितेन्द्र गेहलोत विधान सभा क्षेत्र आलोट तथा मान.श्री सुल्तान सिंह शेखावत, अध्यक्ष म.प्र. कामगार बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 2 फरवरी 2017 को नागदा स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुए :-

- ग्राम मेहतवास , टकरावदा, पारदी, दुर्गापुरा, परमार खेड़ी तथा नागदा नगर के बिरला ग्राम स्थित स्कूल बिड़ला माला के पानी के सेंपल जाँच हेतु लिए गए ।
- ग्राम परमार खेड़ी में कुछ परिवारों के बच्चें चर्मरोग बीमारी से ग्रसित मिले तथा यहां पीने के पानी की समस्या होने से पीने का पानी लगभग 03 कि0मी0 दूर अन्य गाँव से लाना बताया गया।
- माननीय विधायकों एवं स्थानीय प्रतिनिधियो द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डस्ट्रीज के आसपास स्थित जमीन में गेहूँ की फसल के अतिरिक्त अन्य कोई फसल पैदा नहीं हो रही है ।
- अन्य फसलों की पैदावार हेतु ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज एवं सभी केमिकल इण्डस्ट्रीज के आसपास की मिट्टी का परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा मिट्टी परीक्षण के समय कृषि विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जावे।
- ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के अधिकारियों द्वारा नागदा और आसपास के नगरों का सीवेज का ट्रीटमेंट कर उसका उपयोग किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर माँग की गई।
- ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा 110 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की जाने वाली ETP योजना दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
- माननीय विधायकों द्वारा ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के गुजरात में स्थापित ट्रीटमेंट प्लाट के अवलोकन करने की माँग पर इण्डस्ट्रीज प्रबंधन द्वारा सहमत होने पर उक्त भ्रमण पर जाने की सहमति दी गई।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)

प्रतिलिपि:- 12734 11/02/2017
सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अंतर सिंह आर्य)

डॉ आरती अग्रवाल
वैज्ञानिक

परिशिष्ट - ब

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

परिशिष्ट "ब"

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 5276
द्वारा माननीय विधायक श्री बहादुर सिंह चौहान

क.	निरीक्षण उपरान्त परिलक्षित हुये बिन्दु	की गई कार्यवाही
1	2	3
1	ग्राम मेहतवास, टकरावदा, पारदी, दुर्गापुरा, परमारखेड़ी तथा नागदा नगर के बिरला ग्राम स्थित स्कूल ब्रिज नाला के पानी के सेंपल जॉच हेतु लिए गए।	ग्राम मेहतवास, टकरावदा, पारदी, दुर्गापुरा, परमारखेड़ी तथा नागदा नगर के बिरला ग्राम स्थित स्कूल ब्रिज नाला के पानी के सेंपल जॉच हेतु एकत्रित किये गये ।
2	ग्राम परमार खेड़ी में कुछ परिवारों के बच्चे रहस्यमय बीमारी से ग्रसित मिले तथा यहॉ पीने के पानी की समस्या होने से पीने का पानी लगभग 03 कि.मी. दूर अन्य गॉव से लाना बताया गया।	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड खाचरोद से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम परमार खेड़ी में बच्चों में डेन्टल फ्लोरोसिस एवं स्केलेटल फ्लोरोसिस पाया गया है। ग्राम में 24 व्यक्ति दिव्यांग हैं जिनमें से 14 अस्थि बाधित, 05 श्रवण बाधित एवं 05 मानसिक दिव्यांग हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम परमारखेड़ी सहित उज्जैन जिले के 22 ग्रामों की नगदा समूह जल प्रदाय योजना लागत रू. 29.29 करोड़ तैयार की गई है। योजना दिनांक 20/03/2017 से प्रारम्भ हो गई है तथा 18 माह में पूर्ण की जाना है।
3	माननीय विधायकों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डस्ट्रीज के आसपास स्थित जमीन में गेहूँ की फसल के अतिरिक्त अन्य कोई फसल पैदा नहीं हो रही है।	मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा आसपास के क्षेत्र की मिट्टी परीक्षण के निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुकम में अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र कमांक 459 दिनांक 22/04/2017 अनुसार संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि0 (एस.एफ.डी.) नागदा द्वारा सूचित किया गया है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्वाईल साइंस (IISS) भोपाल को तत्परिपेक्ष्य में 03 वर्ष के अध्ययन हेतु कार्यादेश दिनांक 23/06/2017 को जारी किया है।
4	अन्य फसलों की पैदावार हेतु ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज एवं सभी केमिकल इण्डस्ट्रीज के आसपास की मिट्टी का परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा मिट्टी परीक्षण के समय कृषि विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाये।	

डॉ आरती अग्रवाल
वैज्ञानिक

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

5	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के अधिकारियों द्वारा नागदा और आसपास के नगरों का सीवेज का ट्रीटमेंट कर उसका उपयोग किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर मांग की गई।	दिनांक 04/10/2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग को कार्यवाही हेतु महाप्रबंधक एम.पी. ट्रायफेक के माध्यम से लिखा गया है। कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जानी है।
6	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा 110 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की जाने वाली ईटीपी योजना दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।	उद्योग द्वारा औद्योगिक दूषित जल के उपचार व्यवस्था के उन्नयन हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्ताव बैंक गारंटी सहित प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्यवाही जारी है तथा उक्त कार्य जून 2018 तक पूर्ण किया जाना है।
7	माननीय विधायकों द्वारा ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के गुजरात में स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट के अवलोकन करने की माँग पर इण्डस्ट्रीज प्रबंधन द्वारा सहमत होने पर उक्त भ्रमण पर जाने की सहमति दी गई।	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि0 (एस.एफ.डी.) नागदा द्वारा सूचित किया है कि तिथि निर्धारण हेतु माननीय विधायकों को पंत्र दिनांक 15/02/2017 प्रेषित किया है।

डॉ आरती अग्रवाल
वैज्ञानिक